न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 42 / 2021 (2021 / 106)

प्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत सेखाला जरिये सरपंच श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी अनोपसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
2. भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रहलादराम पुत्र पाबुराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम केतूमदा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर (राज0)।
2. तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 0 मिसल संख्या 0 दिनांक 25.10.1981 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोंलकी (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री पारसमल सोनी (अप्रार्थी संख्या 01)।
3. अप्रार्थी संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक :–14.10.2022**

प्रार्थी द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पट्टा विलेख संख्या 0 मिसल संख्या 0 दिनांक 25.10.1981 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, के विरुद्ध पेश की गई है, निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

की ओर से अधिवक्ता श्री पारसमल सोनी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत होने पर उभय पक्षकारान् की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि प्रार्थी ग्राम सेखाला का मूल निवासी है। प्रार्थी के नाम से ग्राम सेखाला के खसरा नं0 436/1 गैर मुमकीन आबादी खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त आबादी भूमि पर प्रार्थी द्वारा भूमिहीन गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत पट्टे जारी करने की योजना बनाई और आवेदन मांगे गए। उसी समय प्रार्थी को गांव वालों से पता चला कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल की मांग की जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ने दिनांक 23.11.2021 को बतलाया कि आप द्वारा वर्ष 1981–1982 में जारी पट्टों व इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां चाही गई है। ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा वर्ष 1981–82 में जारी पट्टों से संबंधित किसी प्रकार का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा किसी प्रकार का कोई पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 01 को जारी नहीं किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके मौके पर भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ होते हुए भी व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकानों का निर्माण किया जा रहा है तथा उक्त पट्टे को देखने मात्र से ही पता चलता है कि पट्टे पर ग्राम सेवक व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 01 को निर्माण कार्य करने से रोकने बाबत् ग्राम पंचायत के द्वारा जरिये नोटिस सूचना दी जा चुकी है तथा मौके पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक एवं सरपंच द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 प्रहलादराम द्वारा फर्जी पट्टे की आड़ में 3–4 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी ही नहीं किया गया इसलिए तथाकथित पट्टा कानूनन शुरू से ही शून्य व अवैध है। अगर पट्टा सही होता तो उसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में अवश्य उपलब्ध होता। प्रार्थी ने पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर शुरू से ही शून्य व अवैध पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निरन्तर आगे बतलाया कि अगर पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया होता तो प्रहलादराम उक्त भूखण्ड पर काबिज होते। प्रार्थी का निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा बदस्तूर आज भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

काबिज है। जिसके आधार पर प्रार्थी का उक्त भूमि पर मालिकाना हक परिपक्व हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी जाती है जो इस मामले में नहीं मगवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई मिसल कायम नहीं की गई और न ही आपत्तियां जारी की गई। अगर ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवायी जाती है तो अवश्य ही प्रार्थी के कब्जे की रिपोर्ट आयेगी। अप्रार्थी प्रहलादराम सेखाला का मूल निवासी नहीं होकर केतुमदा का निवासी है। इससे स्पष्ट है कि पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी का लिखित जवाब पेश कर बतलाया कि खसरा संख्या 436/1 वाली भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि न होकर आबादी भूमि है। जिस पर पट्टा विलेख जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। खसरा संख्या 436/1 में ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा मिसल कायम कर पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में विधिवत् जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 बतौर मालिक काबिज है। प्रकरण में पत्रावली संधारित की गयी तथा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया गया। पंचायत के मूल अभिलेख की जिम्मेदारी पक्षकारों की कभी नहीं होती है। पंचायत का रिकॉर्ड कहां व किसके पास है वो ग्राम पंचायत ही बता सकती है। पिछले 40 वर्षों के दौरान किसी भी सरपंच द्वारा उक्त पट्टा विलेख व कब्जे बाबत् कोई उजर एतराज नहीं किया गया। इस बिनाय पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने कब्जा बाबत् फोटोग्राफ्स पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने आगे बतलाया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस दिया गया वह गलत आधारों पर आधारित होने से काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उस नोटिस का जवाब एवं पट्टा ग्राम पंचायत में पेश कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त योग्य होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने निरन्तर जवाब में बतलाया कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड यदि नहीं मिलता है तो इस सं[illegible]नीय राजस्थान सरकार ने दिनांक 26.11.2021 को एक पत्र जारी किया जिसमें बत[illegible] गया है कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत के स्वयं के रिकॉर्ड में कार्यालय प्रति उपलब्ध नहीं होने की दशा में पट्टा चोरी होने की स्थिति में एफआईआर की प्रति मय शपथ–पत्र के एवं यदि पट्टा नष्ट/गुम हो गया हो तो इस आशय का आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त किया जाकर, उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए आमजन से आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात् राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नया पट्टा जारी करने की विहीत प्रक्रिया अपनाई जाकर उसे नया पट्टा जारी कर सकती है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पत्र क्रमांक एफ4() मार्गदर्षन/विधि/पंस/2021/957 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार उक्त पट्टे पर आमजन से आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के लिए सरपंच महोदया के समक्ष नोटशीट प्रस्तुत की गयी थी लेकिन सरपंच महोदया द्वारा आज दिनांक तक नोटशीट पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थीपक्ष द्वारा द्वेषपूर्ण भावना व अप्रार्थी संख्या 01 को तंग करने की नियत से यह निगरानी पेश की गई है। इस आधार पर पंचायत निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब में आगे बतलाया कि हस्तगत प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया, उसी को निरस्त करने हेतु सरपंच द्वारा पंचायत निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि जिसके द्वारा पट्टा जारी किया गया है उसको निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी संख्या 02 का हित क्या है उसका इस निगरानी में कही उल्लेख नहीं किया गया है। अतः पंचायत निगरानी विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सेखाला ने अपने पत्र क्रमांक 45 दिनांक 17.01.2022 में बतलाया कि न्यायालय में विचाराधीन पंचायत निगरानियां 41/2021 व 42/2021 से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उन्हें उपरोक्त निगरानी से संबंधित कोई रिकॉर्ड चार्ज में हस्तान्तरित नहीं किया गया। प्रस्तुत निगरानी ग्राम पंचायत सेखाला व अन्य व्यक्ति भंवरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। निगरानीकर्ता संख्या 02 भंवरसिंह का प्रस्तुत प्रकरण में Locus Standi क्या है, स्पष्ट नहीं किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों एवं दस्तावेजों (फोटोप्रतियों) से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीधीन पट्टा विलेख की भूमि पर पक्का निर्माण किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को स्वयं प्रार्थी संख्या 01 द्वारा सन् 1981 में पट्टा जारी किया गया इससे स्पष्ट होता है कि आलौच्य पट्टा जारी होने की जानकारी ग्राम पंचायत सेखाला को भलीभांति थी। अतः इतने विलम्ब के पश्चात निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा (Condone) करने का प्रार्थना–पत्र में वर्णित जो तथ्य दिये गये वो संतोषप्रद नहीं है। प्रार्थीपक्ष स्वयं ग्राम पंचायत ने वर्ष 1981 का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः बिना रिकॉर्ड के आलौच्य पट्टा विधिक प्रक्रिया से जारी किया गया या नहीं, पट्टे का वैधानिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश पत्रावली के सलंग्न हो। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत सेखाला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 14.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested